

कार्यालय

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), डुमरा, सीतामढ़ी।

प्रेषक -

पत्रांक. 376-395 /

प्राचार्य,

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट),
डुमरा, सीतामढ़ी।

सेवा में,

नामांकन हेतु प्रतीक्षक सूची हे
सभी अभ्यास (सूची नमूना)

सीतामढ़ी, दिनांक 24.6.17

विषय :- डी0 एल0 एड सत्र 2017-2019 में नामांकन हेतु प्रतीक्षक सूची में नाम।
महाशय,

डी0 एल0 एड सत्र 2017-19 के कोटि (I-V) में नामांकन हेतु आपका नाम प्रतीक्षक सूची में है। दिनांक 28.06.2017 को 10.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर आप नामांकन की बारी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। प्रतीक्षक सूची में मेधाक्रम में आपसे उपर के उम्मीदवार की उपस्थिति में आपको नामांकन का मौका नहीं मिलेगा। यदि यह शर्त मान्य हो तो निम्नांकित कागजात के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। :-

1. मैट्रिक/फोकानिया/ इंटरमीडिएट/मौलवी का मूल प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र
2. अन्य शैक्षणिक अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र (टी.ई.टी. का मूल अंक पत्र, नियोजन पत्र एवं अन्य योग्यता के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति)
3. अंतिम संस्थान का (महाविद्यालय/विद्यालय परित्याग/स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति)
4. अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र
5. अद्यतन जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति (केवल आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)
6. विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति (केवल विकलांग अभ्यर्थियों के लिए)
7. रुपये 11,500 (ग्यारह हजार पाँच सौ) सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/विकलांग कोटि के लिए रुपये 7000 (सात हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो Principal, DIET, Dumra, Sitamarhi के नाम से डुमरा, सीतामढ़ी शाखा में भुगतये होगा। ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत होना चाहिए, जिसे नामांकन होने के पश्चात् जमा करना है।
8. पहचान पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड हेतु 3(तीन) पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो लाना अनिवार्य है।
9. सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों की तीन-तीन छाया प्रति तीन फोल्डर फाईल में लाना है।
10. निर्धारित तिथि को नामांकन नहीं लेने एवं किसी प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।
11. प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के क्रम में गलत या आवेदन पत्र में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने की स्थिति में नामांकन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द की जा सकती है।
12. डाक की गड़बड़ी हेतु संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा। यह पत्र मात्र अभ्यर्थियों के नामांकन की पात्रता का धोतक है, नामांकन की अनिवार्यता का नहीं। इस दो वर्षीय प्रशिक्षण में न्यूनतम 85% उपस्थिति अनिवार्य है।

नोट : 10.15 बजे तक उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर अभ्यर्थित्व समाप्त माना जायगा।

विश्वासभाजन
24/06/2017
प्राचार्य,

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)

डुमरा, सीतामढ़ी।
24.6.17